

**अपील संख्या 2016/00506 बउनवानी रामदेव बनाम श्रीमती
जैना वगैरह, आदेश दिनांक 27.08.2018**

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। अपीलांट के अभिभाषक प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करवाना चाहते हैं उन्होंने बताया कि पक्षकार में राजीनाम हो चुका है। प्रकरण वकील अपीलांट के निवेदन पर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। फैसला सुनाया गया।

प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर ससे कम हों। दाखिल दफ्तर किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर